

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – डेंगु एवं चिकुनगीनिया की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – Dengu &

Chikungunya का Monitoring and Evaluation and rapid response.

– बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर)– स्तम्भ–

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) – ।
बिहार में डेंगु का केस वर्ष 2008-09 में केवल एक पाया गया है जो कैमूर जिले का है। Chikungunya का केस वर्ष 2008-09 में Reported नहीं है। भविष्य में Dengu & Chikungunya का Monitoring and Evaluation and rapid response.

के तहत 1 लाख रुपये की राशि राज्य स्तरीय कार्यालय पर रखा गया है ताकि आवश्यकता परने पर किसी जिले में ये राशि खर्च की जा सके । इसके अंतर्गत कैम्प करके मरीजों की पहचान एवं जाँचोउपरांत उपचार की व्यवस्था की जायगी तथा प्रभावित क्षेत्रों में Focal Malathion का फौगिंग किया जायगा । Monitoring and Evaluation and rapid response के तहत 1 लाख रुपये की राशि राज्य स्तरीय कार्यालय पर रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी जिले में यह राशि खर्च की जा सके ।

ईकाई राशि(रु0 रुपया में)–100000 रुपया राज्य स्तरीय

वित्तीय दिशा– नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0– तिथि के साथ उल्लेखित करें)–

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम– डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण

कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर –98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम — डेंगु एवं चिकुनगीनिया की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — Sentinal Surveillance Hospital

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर)— स्तम्भ- 1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — उपर्युक्त विषय डेंगु एवं चिकुनगीनिया की रोकथाम एवं उपचारात्मक उपाय हेतु राज्य के ANMMCH, गया को Sentinal Surveillance Hospital के रूप में छयनित का प्रस्ताव है । भारत सरकार के Letter No. 7-130/2007-08/NVBDCP/Chikungunya cash assistance GOI, Dated 16.04.08

Subject:- Financial guidelines for Apex Referral Laboratories and Sentinal Surveillance Hospital. के आलोक में Laboratory Strengthening हेतु निम्नवत अनुदेश है - "One time financial grant Rs. 25.00 Lakhs will be provided to each ARLS (Apex Referral Laboratories) for the infrastructure development. In addition, recurring expenditure to the tune of Rs. 1.00 lakh to each ARL and Rs. 0.50 Lakh to each SHs (Approved by GOI/will be provided to meet the contingency expenditure of the Laboratory" का प्रावधान किया जा सकता है । डेंगु एवं चिकुनगीनिया की रोकथाम एवं उपचारात्मक उपाय हेतु राज्य के ANMMCH के गया को मदजपदमस surveillance Hospital के रूप में छयनित का प्रस्ताव है । मदजपदमस surveillance Hospital के strengthening हेतु 50,000/- रू० की राशि स्वीकृत की गई है ।

ईकाई राशि(रू० रूपया में)—2650000 रूपया / Sentinal Surveillance Hospital

वित्तीय दिशा— नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। 1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM, के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

(क) Letter No. 7-130/2007-08/NVBDCP/Chikungunya cash assistance GOI, Dated 16.04.08

Subject:- Financial guidelines for Apex Referral Laboratories and Sentinal Surveillance Hospital.

(ख) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – डेंगु एवं चिकुनगीनिया की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – Dengu & Chikungunya का Epidemic Prepardness (logistics + operational cost)

– बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर)– स्तम्भ–

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) –

Dengu & Chikungunya का Epidemic Prepardness (logistics + operational cost) के रूप में राज्य स्तरीय कार्यालय पर 4 लाख 20 हजार रुपये रखा गया है । जो महामारी के स्थिति से निपटने से संबंधित जिलों से खर्च किया जा सके । बिहार में डेंगु का केस वर्ष 2008-09 में केवल एक पाया गया है जो कैमुर जिले का है। Chikungunya का केस वर्ष 2008-09 में Reported नहीं है। भविष्य में महामारी के स्थिति से निपटने से संबंधित जिलों से खर्च किया जा सके । इसके अन्तर्गत IEC की गतिविधियां की जायगी तथा उन लोगों के निदान हेतु Sential Site पर जाँच की सुविधा, उपचारत्मक उपाय एवं Lab Strengthening की जानी है । Epidemic Prepardness (logistics+operational cost) के रूप में राज्य स्तरीय कार्यालय पर 4 लाख 20 हजार रुपये रखा गा है । जो महामारी के स्थिति से निपटने से संबंधित जिलों से खर्च किया जा सके ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)–420000 रूपया राज्य स्तरीय

वित्तीय दिशा– नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०– तिथि के साथ उल्लेखित करें)–

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम– डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर –98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – डेंगु एवं चिकुनगीनिया की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) – Dengu & Chikungunya का Training / Workshop

– बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर)– स्तम्भ–

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5–10 वाक्य अधिकतम) –

Dengu & Chikungunya का Training / Workshop NVBDCP द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में कारवायी की जाएगी, इस निमित्त 2 लाख रुपये का प्रावधान राज्य स्तरीय कार्यालय पर किया गया है । प्रभावित जिले के चिकित्सा पदा0 एवं पारा मेडिकल स्टाफ को NBVDCP द्वारा Module उपलब्ध कराने पर प्रशिक्षण दिया जाना है । Training / workshop- Training एवं NVBDCP द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में कारवायी की जाएगी, इस निमित्त 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

ईकाई राशि(रु0 रूपया में)–200000 रूपया राज्य स्तरीय

वित्तीय दिशा– नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0– तिथि के साथ उल्लेखित करें)–

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरान्त स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम– डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरुण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर –98350-12758/94310-

23237/94314-08454